न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 173/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना पनियाला

बनाम

श्री बाबूलाल पुत्र श्री रामकुमार, निवासी ढाणी जीतावाली, तन मोठूका, पुलिस थाना पाटन, जिला सीकर।

4. निर्णय दिनांक : 18.08.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना पनियाला, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 16.06.2017 को थाना पनियाला द्वारा एक पिकअप नं. आरजे0–32–जीबी–2890 में 09 ड्रम डीजल के भरकर चालक बाबूलाल द्वारा बिना लाईसेंस व वैध दस्तावेज के परिवहन करते पाये जाने पर डिटेन किया गया। जिसकी सूचना पर वृत्ताधिकारी थाना पनियाला पहुंचकर चैक करने पर एक पिकअप नं. आरजे0–32–जीबी–2890 में 09 ड्रम डीजल से भरी हुयी मिली। वाहन के साथ चालक बाबूलाल उपस्थित मिला। दौराने जांच पिकअप में 9 प्लास्टिक ड्रम सभी करीब 200 लीटर क्षमता के थे, जिनमें कुल 1550 लीटर डीजल भरा हुआ मिला। पूछताछ में अप्रार्थी ने उक्त डीजल को कब्जे में रखने व परिवहन करने बाबत बिल्टी व वैध दस्तावेज नहीं होना बताया तथा डीजल हरियाणा से भरकर गांव मोठूका में बेचने के लिये लेकर जाना बताया। ऐसी स्थिति में नमूने के लेने के पश्चात 9 ड्रम में शेष 1538 लीटर डीजल मय पिकअप नं. आरजे0–32–जीबी–2890 को जब्त किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, फर्द जप्ती, एफ0आई0आर0 की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस भेजे गये जो बाद तामील प्राप्त नहीं हुये। अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी किये गये जो कि 1 माह से अधिक समय बाद भी प्राप्त नहीं हुये। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। बारम्बार आवाज दिलाई गयी बावजूद अनुपस्थित। दिनांक 30.06.2017 को श्री सुरेश द्वारा जरिये अधिवक्ता स्वयं को उक्त जब्त पिकअप का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर गाडी को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें दिनांक 29.08.2017 को रुपये 5,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जब्त पिकअप नं. आरजे0–32–जीबी–2890 के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तदुपरान्त पत्रावली वास्ते बहस रखी गई।

प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

सरकार बनाम बाबूलाल

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कि दिनांक 16.06.2017 को थाना पनियाला द्वारा एक पिकअप नं. आरजे0–32–जीबी–2890 में 09 ड्रम डीजल के भरकर चालक बाबूलाल द्वारा बिना लाईसेंस व वैध दस्तावेज के परिवहन करते पाये जाने पर जब्त किया गया। दौराने जांच पिकअप में 9 प्लास्टिक ड्रम सभी करीब 200 लीटर क्षमता के थे, जिनमें कुल 1550 लीटर डीजल भरा हुआ मिला। पूछताछ में डीजल हरियाणा से भरकर गांव मोठूका में बेचने के लिये लेकर जाना बताया। अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्त डीजल के संबंध में कोई वैध क्रय विक्रय के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये साथ ही उक्त डीजल किससे खरीदा तथा किसको बेचा जाना है की स्थिति भी संदिग्ध प्रतीत होती है। अप्रार्थी द्वारा जब्त डीजल की वैधता के संबंध में मौके पर और आदिनांक तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। उक्त प्रकरण में गाडी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त डीजल के संबंध में कोई क्लेम आज तक ेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी के कब्जे में 1000 लीटर से अधिक डीजल होना राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एव नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा 1538 लीटर डीजल (नमूने लेने के पश्चात) मय 9 ड्रम व डीजल के अवैध परिवहन में काम आने वाली पिकअप नं. आरजे0–32–जीबी–2890 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त सामग्री का नियमानुसार अन्तिम निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **18.08.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।